राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
(शिक्षा विभाग, मा.सं.वि.मं, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन)
ए-24/25, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-62, नोएडा-201309, उ.प्र.

National Institute of Open Schooling
(An autonomous organization under the Deptt. of Edun. MHRD, Govt. of India)
A-24-25, Institutional Area, Sector 62, NOIDA-201309, UP

फ-26.3(i)/2014/एनआईओएस/वि.स.से/पीए 19 दिनांक: 02.05.2014

## कार्यालय आदेश

ऐसा देखा गया है कि अवकाश पर जाते हुए भी, कार्मिक रिकॉर्ड की चाबियाँ अपने पास रखते हैं। इन परिस्थितियों में, यदि सूचना की आवश्यकता होती है, तो क्षेत्रीय केंद्र सूचना प्रदान करने में सक्षम नहीं होते हैं क्योंकि न तो उनके पास रिकॉर्ड होता है और न ही रिकॉर्ड की चाबियाँ होती हैं। यह अत्यंत गंभीर विषय है और इससे सार्वजनिक कर्तव्यों को करने में अत्यंत गंभीर रुकावट आती है।

सभी क्षेत्रीय निदेशकों को उनके अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि यदि, वे अवकाश पर जा रहे हैं तो चाबियाँ एक लिफाफे में रखकर क्षेत्रीय निदेशक को सौंप दें।

सभी क्षेत्रीय निदेशक यह सुनिश्चित करें कि अवकाश पर जाते हुए कोई भी कार्मिक अपने पास रखी रिकॉर्ड की चाबियाँ सौंपे बगैर कार्यालय से न जाए।

इसका सख्ती से पालन करें।

संयम 2/5/14

(डॉ. संयम भारद्वाज)
निदेशक (वि.स.से.)

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति:

1. अध्यक्ष महोदय की सूचना हेतु स.नि (अध्यक्ष कार्यालय)।
2. सभी विभागाध्यक्ष
3. सभी क्षेत्रीय निदेशक
4. एसएपी को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
5. संयुक्त निदेशक (वि.स.से), वि.स.से विभाग में निर्देशों के पालन के लिए।
6. सहायक निदेशक -II (वि.स.से)
7. सहायक निदेशक -III (वि.स.से)
8. अनुभाग अधिकारी (प्रवेश) (वि.स.से)